न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 65/2018 (राजसमन्द डिकी)

1. दौतलसिंह पिता वदनसिंह जी राजपूत, निवासी पाखण्ड़, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. भंवर कुंवर पत्नी भंवरसिंह जी राजपूत, निवासी पाखण्ड़, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. उदयसिंह मुतबन्ना हमेरसिंह जी राजपूत, निवासी पाखण्ड़, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. निर्भयसिंह पिता भीमसिंह जी राजपूत, निवासो पाखण्ड़, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. गोविन्दसिंह पिता भीमसिंह जी राजपूत, निवासी पाखण्ड़, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती भंवर कुंवर बेवा भीमसिंह जी राजपूत, निवासी पाखण्ड़, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. गमेरसिंह पिता भैरूसिंह जी राजपूत, निवासी पाखण्ड़, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. धूलसिंह पिता वदनसिंह जी राजपूत, निवासी पाखण्ड़, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
8. किशोर पिता भीमसिंह जी राजपूत, निवासी पाखण्ड़, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 –1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा दिनांक
14–07–2017 एवं डिकी दिनांक

04–10–2017 प्रकरण सं. 144/14

———:::———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री अशोक टांक अभिभाशक अपीलान्टगण

2. श्री मनीष शर्मा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं॰ 1

3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय दिनांक

29–07–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पाखण्ड में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजियात कुल किता 33 रकबा 63 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष वदनसिंह के पॉच पुत्र भैरूसिंह, हमेरसिंह, दौलतसिंह, भंवरसिंह व धूलसिंह हुए, जिससे प्रत्येक का विवादित भूमियों में 1/5, 1/5 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज हैं। अतः वादग्रस्त भूमियों का विभाजन किया जाकर विवादित भूमि में वादी को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं आराजी नंबर 37 में सभी पक्षकारान के लिए रास्ता है, जिसे राजस्व रेकार्ड में रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर अपने निर्णय दिनांक 14–07–2017 को वादीगण का वाद स्वीकार कर दिनांक 04–10–2017 को प्रकरण में डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रतिवादी संख्या 6 व 7 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29–10–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री मनीष शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 की ओर से राजकीय अभिभाषक

श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 08–10–2018 को नकले लेने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अपील जानकारी से अन्दर मयाद प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त आवेदन के खण्डन का कोई जवाब रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अखण्डित शपथ पत्र एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगण न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि बंटवाड़ा सूची तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की गयी है तथा अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में तैयार की गयी है। आदेशिका में दिनांक 07–07–2015 को पेशी नियत की गयी, किन्तु इसके स्थान पर दिनांक 10–06–2015 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गयी, जिससे अपीलान्ट को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ ह। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः विधिवत विभाज किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट 1 के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि फर्द बंटवारा स्वयं तहसीलदार द्वारा पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा तो यह पाया कि प्रकरण में आदेशिका दिनांक

06–04–2015 अनुसार दिनांक 07–07–2015 को पेशी नियत की गयी, किन्तु इसके स्थान पर दिनांक 10–06–2015 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गयी तथा विभाजन प्रस्ताव भी अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है तथा तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया है। तद्नुसार उक्त फर्द बंटवाड़े के आधार पर जारी अंतिम डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14–07–2017 एवं डिक्री दिनांक 04–10–2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली इन निर्देशों के साथ अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है कि तहसीलदार स्वयं मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में फर्द बंटवाड़ा तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें तथा अधिनस्थ न्यायालय उक्त फर्द बंटवाड़े पर यदि पक्षकारान की कोई आपत्तियां है तो उनका निर्धारण करते हुए प्रकरण में विधिक के आलोक में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30–09–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 29–07–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

भंवरसिंह पिता शम्भूसिंह चौहान, राजपूत,
नि॰ कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा जि. राजसमन्द व अन्य

बनाम

प्रेमसिंह पिता जवाहरसिंह
नि॰ कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील
नाथद्वारा जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं॰.....11 / 2017.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....

.....नाथद्वारा..... मुकाम.....मुवर्खे.....01.....माह..... 07.....2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....27....माह.....06.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी.....श्री अतुल पालीवाल.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री प्रदीप पुरोहित

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01–07–2015 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....27.....माह.....06... 2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।